मानक प्रचालन कार्यविधि

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,
उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप,
गोरखपुर

नोट

मानक प्रचालन कार्यविधि

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखण्ड

देहरादून, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य

विवरणिका

1. संदर्भ

2. उद्देश्य

3. पूर्व तैयारी क्रिया
   - 3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण
   - 3.2 जोखिम आकलन
   - 3.3 संसाधन मानचित्रण
   - 3.4 संवेदनशील स्थलों की पहचान व सुधार
   - 3.5 क्षमतावर्धन

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों की प्रक्रिया

8. सुझाव

9. चेकलिस्ट

1. संदर्भ

राज्य को निरन्तर विद्युत आपूर्ति करने की दृष्टि से उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एक महत्वपूर्ण विभाग है। उत्तराखण्ड जैसे पहाड़ी राज्य में आपदाओं के बाद बचाव एवं राहत कार्यों के दौरान भी उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यद्यपि यह निगम अपने सहयोगी संस्थाओं (पिटकुल, यूजेवीएनएल, उरेडा) के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करता है, लेकिन किसी भी आपदा के दौरान अपनी जिम्मेदारियों एवं दायित्वों को सुरक्षित तरीके से पूरा करने के लिए आपदा पूर्व एवं आपदा के बाद के चरण में भी निगम द्वारा बहुत सी तैयारियां एवं पुनर्निर्माण के कार्य किये जाते हैं, जो आपदा के प्रभावों को कम करने की दिशा में सहायक होते हैं। आपदाओं के सन्दर्भ में निगम की राज्य स्तर से लेकर सबसे छोटी ईकाई हेतु सचिव, आपदा प्रबन्धन की तरफ से समय–समय पर दिशा–निर्देश भी जारी किये जाते हैं। यह मानक प्रचालन कार्यविधि इन्हीं दिशा–निर्देशों एवं कार्यों का एक संकलित समूह है, जिसे अपनाकर निगम आपदा के दौरान प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन कर सकता है और जोखिम को कम कर सकता है।

2. उद्देश्य

मानक प्रचालन कार्यविधि बनाने के निम्नवत् उद्देश्य हैं –

- विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना का सन्दर्भ लेते हुए निगम की राज्य से लेकर स्थानीय स्तर तक की सभी इकाईयों के बीच कार्यों एवं जिम्मेदारियों की स्पष्टता विकसित करना।
- राहत एवं बचाव कार्यों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- पूर्व तैयारियों को अपनाकर विद्युत को स्वयं एक आपदा बनने से बचाना ।

3. पूर्व तैयारी क्रिया

विभाग द्वारा पूर्व तैयारी क्रिया के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां सम्पादित की जायेंगी –

3.1 संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण

- मुख्य अभियन्ता (वितरण) मई माह तक विभाग के अन्दर क्षेत्रवार आपदा प्रबन्धन टीम का गठन कर नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।
- अप्रैल से जून माह तक अधिशासी अभियन्ता (नोडल अधिकारी) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से विभाग की तैयारियों से सम्बन्धित नवीनतम रिपोर्ट तैयार कर राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से साझा करेंगे।

3.2 जोखिम आकलन

- उपखण्ड अधिकारी व अवर अभियन्ता गर्मियां प्रारम्भ होने से पहले ही वन विभाग के सहयोग से जंगलों से होकर जाने वाली लाइनों के संवेदनशील बिन्दुओं की पहचान कर तद्नुसार कार्यवाही करेंगे।

3.3 संसाधन मानचित्रण

- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निर्देशानुसार अधिशासी अभियन्ता (वितरण) जनपद स्तर पर स्थानीय परिस्थिति तथा भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनायेंगे एवं उसी के अनुरूप पूर्व तैयारी सुनिश्चित करेंगे।

- आपदा के दौरान आयी कमियों को दूर करने के लिए सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) मार्च माह तक ठेकेदार एवं मजदूरों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करेंगे व जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण व विभाग मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त बुलाया जा सके।

- अधिशासी अभियन्ता (वितरण) मार्च माह तक विभाग के अन्दर मौजूद ट्रॉली ट्रांसफार्मरों की देख–रेख कर उसे चालू हालत में बनाये रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी व्यवधान के उसका उपयोग किया जा सके।

- अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के निर्देशानुसार अवर अभियन्ता जून से पहले सामान्य उपकरणों, सामग्रियों, मोबाइल ट्रांसफार्मर, तार, इन्सुलेटर आदि की सूची तैयार करेंगे, उसे सतत् अपडेट करेंगे तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के माध्यम से आई0डी0आर0एन0/एस0डी0आर0एन0 वेबसाइट पर अपडेट करायेंगे।

- मुख्य अभियन्ता (वितरण) के निर्देशानुसार अधीक्षण अभियन्ता मानसून से पहले आपदा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्हित स्थानों पर विद्युत आपूर्ति तुरन्त सुचारू करने हेतु पी0डब्ल्यू0डी0/प्रशासन के सहयोग से मोबाइल ट्रांसफार्मर/जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3.4 संवेदनशील स्थलों की पहचान व सुधार

- मानकों के अनुसार अस्थाई हेलीपैड हेतु चिन्हित स्थलों पर अधिशासी अभियन्ता प्रशासन के सहयोग व निर्देश के अनुरूप कार्य करेंगे।

- अधिशासी अभियन्ता के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी व अवर अभियन्ता मानसून से पहले संचरण लाइन के दोनों तरफ निर्धारित सुरक्षित दूरी तक तारों से लगने वाली डालियों की कांट–छांट कराना सुनिश्चित करेंगे।

3.5 क्षमतावर्धन

- जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सहयोग से अधिशासी अभियन्ता मानसून से पहले आपदा से निपटने हेतु स्टाफ को प्रशिक्षण दिलवाना सुनिश्चित करेंगे।

- अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के निर्देशन में मार्च तक विभागीय स्तर पर व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उससे जोड़ दिया जायेगा, ताकि समय से सूचनाएं मिल सके।

- प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निर्देशानुसार मुख्य अभियन्ता (क्रय एवं अनुबन्ध), व मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्धन एवं निरीक्षण) मानसून से पहले विभाग मुख्यालय से स्थानीय अधिशासी अभियन्ताओं (वितरण) द्वारा संभावित जोखिम आकलन के आधार पर आपातकालीन विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सामानों की व्यवस्था कर स्थान–स्थान पर बने स्टोरों में भण्डारित करायेंगे।

4. सूचना का प्रवाह व क्रियाशीलता हेतु मार्ग निर्देश

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन निगम में आपदाओं से सम्बन्धित सूचनाओं का आदान–प्रदान दो स्तरों से हो सकता है –

अ. ऊपर से नीचे की ओर सूचना का प्रवाह

इस स्तर में आपदा से सम्बन्धित सूचनाएं निगम के राज्य मुख्यालय से मण्डल स्तर तक होते हुए जनपद स्तर पर अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के पास पहुंचेगी। अधिशासी अभियन्ता (वितरण) सूचनाओं का प्रवाह सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी से होते हुए सबसे निचली इकाई लाइनमैन तक पहुंचेगी। सूचनाओं के साथ ही आपदाओं के दौरान काम करने के निर्देश भी पहुंचेंगे।

ब. नीचे से ऊपर की ओर

सूचना प्रवाह के इस स्तर में आपदा से सम्बन्धित सूचनाएं नीचे से ऊपर की ओर जायेंगी। किसी भी प्रकार की आपदा घटित होने की स्थिति में सबसे निचली इकाई के रूप में लाइनमैन अपने सम्बन्धित अवर अभियन्ता को स्थितियों से अवगत करायेगा। अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता व्हाट्स ग्रुप पर स्थितियों के बारे में जानकारी डालने के साथ–साथ लाइनमैन को दिशा–निर्देश देगा एवं स्वयं आपदा स्थल पर पहुंचेगा। अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता को सूचित करने के साथ ही आगे के दिशा–निर्देश की भी जानकारी लेगा। अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से सूचनाएं निगम के राज्य मुख्यालय तक जायेंगी।

5. दिशा-निर्देशन एवं समन्वयन

मौसम विभाग से प्राप्त चेतावनी के आधार पर राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सभी सम्बन्धित विभागों को अलर्ट जारी कर देगा। जिसके आधार पर निगम स्थितियों से निपटने को हरसंभव तैयार रहेगा। आपदा की स्थिति में निगम राज्य स्तर पर राज्य आपात परिचालन केन्द्र तथा जनपद स्तर पर जिला आपात परिचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेगा और अधिशासी अभियन्ता (वितरण) जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।

तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के स्तरों का निर्धारण

आपदा की तीव्रता के आधार पर क्रियाशीलता के एल1, एल2 व एल3 स्तर का निर्धारण होगा। आपदा का प्रतिवादन करने हेतु नियोजन भी उपरोक्त तीन स्तरों के आधार पर की जानी होगी। स्तरों के आधार पर नियोजन निम्नानुसार होगा

एल–1 आपरेशन

यह क्रियाशीलता का न्यूनतम स्तर होता है। इस स्तर में कुछ ही लोगों की आवश्यकता होती है। मुख्यतः इस स्तर में योजनाएं बनाने, सूचनाएं प्रसारित करने जैसा कार्य प्रमुख होता है। उदाहरणस्वरूप चेतावनी प्रसारित करना या कुछ निम्न स्तरीय घटनाओं से सम्बन्धित योजना बनाना आदि इस स्तर में शामिल होते हैं।

एल–2 आपरेशन

इस स्तर के आपरेशन के दौरान अधिक आपदा बचाव कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस स्तर की आपदा में जिला नोडल अधिकारी सभी क्रियाओं का संचालन एवं समन्वयन कर सकता है।

एल–3 आपरेशन

एल–3 स्तर की आपदाओं में विभाग से जुड़े सभी लोगों की क्रियाशीलता एवं संलिप्तता आवश्यक होती है। यह स्तर सामान्यतः उस दशा में लागू किया जाता है, जब आपदा का समय पूर्व निर्धारित हो और आपदा की तीव्रता अत्यधिक हो।

6. आपदा के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का प्रक्रिया

बाढ़ आपदा की स्थिति में सम्बन्धित अवर अभियन्ता के निर्देशन पर स्टेशन आपरेटर व लाइनमैन तत्काल सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति रोक देंगे ताकि बिजली के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

- अधिशासी अभियन्ता के नेतृत्व में सम्बन्धित अवर अभियन्ता व लाइनमैन क्षतिग्रस्त साइटों पर पेट्रोलिंग करेंगे ताकि क्षति का पता चल सके। साथ ही वहां के ट्रांसफार्मर का फ्यूज निकाल देंगे।

- एक से दो दिनों के अन्दर सम्बन्धित अवर अभियन्ता व लाइनमैन क्षतिग्रस्त हिस्सों को छोड़कर बाकी हिस्सों की विद्युत आपूर्ति बहाल कर देंगे।

- सुरक्षा की दृष्टि से अन्य विभागीय प्रचलित प्रक्रिया का पालन प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जायेगा।

7. आपदा के बाद की जाने वाली गतिविधियों का प्रक्रिया

आपदा बाद लेखा सम्बन्धी एवं अन्य विभिन्न प्रशासनिक कार्य व उनकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी–

- अधिशासी अभियन्ता (वितरण), के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता व लाइनमैन के सहयोग से क्षतिग्रस्त तारों व पोलों को बदलेंगे एवं मरम्मत करेंगे।

- मुख्य अभियन्ता (वितरण) अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी, अवर अभियन्ता व लाइनमैन आपदा के बाद रिकवरी व पुनर्वास में विभिन्न विभागों को सहयोग प्रदान करेंगे।

- अधिशासी अभियन्ता के निर्देशन में आपदा प्रभावित स्थलों पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बहाल की जायेगी।

- आपदा के बाद आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पतालों, अग्नि शमन सेवाओं तथा आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठों को प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति बहाल की जायेगी।

- अधिशासी अभियन्ता के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी आपदा के अनुभवों के आधार पर वांछित मानक के अनुसार संसाधनों की सूची तैयार कर उन संसाधनों को प्राप्त करने हेतु योजना तैयार करेंगे।

- अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के निर्देशन में उपखण्ड अधिकारी व अवर अभियन्ता आपदा के बाद अक्टूबर माह में विभागीय क्षति का आकलन कर उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर विभाग मुख्यालय व शासन को प्रेषित करेंगे।

- मुख्य अभियन्ता (वितरण) एवं अधिशासी अभियन्ता (वितरण) के निर्देशन में आपदा के दौरान किये गये कार्यों समीक्षा की जायेगी, कमियों का विश्लेषण किया जायेगा तथा उनमें सुधार करते हुए भावी कार्ययोजना में सीखों को समाहित करना सुनिश्चित किया जायेगा।

- अधिशासी अभियन्ता (वितरण) आपदा के दौरान प्राप्त सीखों को दस्तावेजित कर उसकी प्रति विभाग के राज्य मुख्यालय तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।

8. सुझाव

9. चेकलिस्ट

9.1 आपदा पूर्व तैयारी

यह प्रपत्र विभागीय जिला नोडल अधिकारी द्वारा भरकर, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र/ राज्य मुख्यालय को सौंपा जायेगा–

कार्य किया गया है	हाँ/नहीं	टिप्पणी
संस्थागत भूमिका एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण ◆ विभागीय जिला आपदा प्रबन्धन टीम का गठन किया गया है।		
◆ जिला नोडल अधिकारी द्वारा निम्न विभागों/कार्यालयों के साथ संचार व्यवस्था स्थापित की गयी है– – राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र – जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र – आयुक्त आपदा – जिलाधिकारी/ मंडलाधिकारी – डिवीजन के अन्तर्गत सभी विभागीय कार्यालय		
जोखिम आकलन ◆ जंगलों से होकर जाने वाली सभी लाइनों की चेकिंग की गयी है।		
◆ कमजोर पोलों व तारों का चिन्हीकरण कर लिया गया है।		
◆ खराब विद्युत उपकरणों (ट्रान्सफार्मर) की सूची तैयार कर मानसून से पहले मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है।		
संसाधन मानचित्रण ◆ विभागीय कार्य योजना के अनुरूप तैयारी की गयी है।		
◆ ठेकेदारों व मजदूरों की पहचान करके सूची तैयार की गयी है।		
◆ सभी स्टोरों में उपलब्ध विद्युत सामग्री की व्यवस्था की गयी है।		
◆ सभी विद्युत उपकरणों व सामग्रियों, मोबाइल ट्रान्सफार्मर, तार, इन्सुलेटर आदि की सूची तैयार कर ली गयी है।		
◆ सभी जनरेटरों का सर्वेक्षण करके उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।		
क्षमतावर्धन व माकड्रिल ◆ सभी स्टाफ को आपदा से निपटने हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।		
◆ विभागीय स्तर पर आपदा के सन्दर्भ में सूचनाओं के आदान–प्रदान हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच व्हाट्सअप ग्रुप काम कर रहा है।		

9.2 आपदा के दौरान

कार्य किया गया है	हाँ/नहीं	टिप्पणी
◆ आपदा से सम्बन्धित सूचना मिलने पर टीम को समय पर आपदा स्थल पर भेजने की तैयारी की गयी है।		
◆ आपदा में महत्वपूर्ण स्थानों के लिए वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है।		
◆ विद्युत आपूर्ति को बाधित करने का आदेश पारित किया गया है।		
◆ बर्फबारी वाले स्थानों पर लाइनमैन/अवर अभियन्ता क्षतिग्रस्त लाइनों को मरम्मत हेतु तैयार रखे गये है।		
◆ खराब विद्युत उपकरणों (ट्रान्सफार्मर) की सूची तैयार कर मानसून से पहले मरम्मत की कार्यवाही की जा रही है।		

9.3 आपदा के बाद

कार्य किया गया है	हाँ/नहीं	टिप्पणी
◆ सभी क्षतिग्रस्त पोलों, तारों को बदल दिया गया है।		
◆ आपदा प्रभावित स्थलों पर विद्युत आपूर्ति बहाल की व्यवस्था की गयी है।		
◆ क्षति आंकलन हेतु टीम गठित की गयी है।		

नोट